

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (142) वन /2022

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर।

विषय—Diversion of 0.9830 Hectar for construction of Existing School established since 1963 for Extension Government Secondary School at Village-Rampura Nyola , Tehsil-Suratgarh,District -Sri Ganganagar (Rajasthan) (FP/RJ/SCH/148169/2021)

संदर्भ—आपका पत्रांक एफ 14 (505/43)2020 /एफसीए/प्रमुखस/3462 दिनांक 18.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा न्यौला, सूरतगढ़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा न्यौला, सूरतगढ़ के निर्माण के लिए वन भूमि प्रस्तावित हेतु 0.9830 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा—निर्देशों के परिषेष में Diversion of 0.9830 Hectar for construction of Existing School established since 1963 for Extension Government Secondary School at Village-Rampura Nyola , Tehsil-Suratgarh,District -Sri Ganganagar (Rajasthan)) की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल, पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई, गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा की जावेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.जी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA (प्राप्ति का दिनांक 09.06.2016) के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

Signature Valid

कार्यालय पता— वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, चत्तरी दूरभाष संख्या— 0141-2227762 Mail ID [ads.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ads.forest@rajasthan.gov.in) Commanpucc/secy. Forest/Ajay--  
RajKaj Ref No : 3000704

Digital Signature of Venkatesh Sharma  
Designation : Additional Principal  
Other Conservator  
Date: 2022.11.24 12:49:23 IST  
Reason: Approved

आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बैठकोर्टल OSMFWP, द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आया (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतारी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।

13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

1. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30. दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यांत्रिक प्राप्ति उपलब्ध करें।

2. यह नियमानुसार जमा की जायेगी एवं एन.पी.वी. का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आया जायेगा। यह नियमानुसार जमा की जायेगी।

3. यह नियमानुसार जमा की जायेगी एवं एन.पी.वी. का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आया जायेगा। यह नियमानुसार जमा की जायेगी।

( वेंकटेश शर्मा )

शासन सचिव

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्डिया पर्यावरण भवन, अलीगढ़, जौरे बाग रोड, नई दिल्ली-110003
  2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन आलाना, जयपुर।
  3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
  4. मुख्य वन संरक्षक बीकानेर।
  5. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर।
  6. उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर।
  7. प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा न्यौला, सूरतगढ़ -305006
  8. रक्षित पत्रावली।

( सुरेश अग्रवाल )  
विशेषाधिकारी, वन